उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण अनुभाग
संख्या-11/2016/467/55-पर्या-2016-41(पर्या)/16
लखनऊ : दिनांक : 14 मार्च, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार से अधिकतम रू0 10-00 करोड तक की कम से कम एक-एक परियोजना क्रमशः नेशनल एडाप्टेशन फण्ड/नेशनल क्लीन इन्वायरमेन्ट फण्ड तथा एडाप्टेशन फण्ड बोर्ड हेतु , रू0 10-00 करोड तक की तथा क्लाइमेट चेन्ज एक्शन प्रोग्राम के अन्तर्गत डिमान्सटेशन प्रोजेक्ट, "ग्रीन क्लाइमेट फण्ड" हेतु प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी है।

2- उक्त परियोजनाओं के विचरन, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, क्रियान्वयन व अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी" निम्नवत गठित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

क्रम सं0	पदनाम	पद
1	मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन	उपाध्यक्ष
3	प्रमुख सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, उ0प्र0 शासन	उपाध्यक्ष
4	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
5	प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
6	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
7	प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
8	प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
9	प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
10	प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
11	प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
12	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
13	प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
14	प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
15	प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
16	प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
17	प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
18	प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
19	निदेशक, सुदूर संवेदन केन्द्र, उ0प्र0 शासन	सदस्य
20	प्रबन्ध निदेशक, भूमि सुधार एवं परती भूमि विकास, उ0प्र0।	सदस्य
21	निदेशक, भूगर्भ विभाग, उ0प्र0।	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

22	नाबार्ड लखनऊ के प्रतिनिधि	सदस्य
23	जी0ई0जेड0 के प्रतिनिधि	सदस्य
24	निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0।	सदस्य सचिव
25	उक्त के अतिरिक्त विशेष आमंत्रित सदस्य अध्यक्ष महोदय की अनुमति से	

3- जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना से सम्बन्धित मिशनों जैसे-कृषि, हार्टिकल्चर, एग्रो फारेस्टी, पर्यावरण, जल, वानिकी, नगर विकास, डिजास्टर, स्वास्थ्य, पर्यटन, आवास से जुड़े जलवायु परिवर्तन के विभिन्न कार्यो पर नाबार्ड द्वारा भारत सरकार को प्रेषित की जानी वाली परियोजनाओं के विचरन में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

संख्या-11/2016/467(1)/55-पर्या-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त संबंधित अधिकारीगण।
2- सचिव/अपर सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3- निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5- जनरल मैनेजर, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
6- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-7/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।